

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -1023/2016/चुरु

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
घट-प्रथम, प्रतिकरापवचन, बीकानेर  
बनाम्

.....अपीलार्थी.

मैसर्स कृष्णा एजेन्सीज  
मून्दडा मार्ग धनलक्ष्मी कॉम्पलेक्स के पीछे सुजानगढ़

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ  
राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :  
श्री डी.पी. ओझा  
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.


श्री नितिन गुप्ता  
अधिकृत प्रतिनिधि

.....प्रत्यर्थी की ओर से.  
दिनांक : 19.12.2017

निर्णय

1. उक्त अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा गया है) के अपील सं. 305/आरवैट/चुरु/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 15.10.2015 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 76(6) के तहत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 31.10.2014 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट-प्रथम, प्रतिकरापवचन, बीकानेर (जिसे आगे जांच अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा ट्रॉसपोर्ट चैकिंग के दौरान वाहन सं. RJ01 GA 0482 से प्लाई वुड का परिवहन किया जाना पाया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के संबंध में दस्तावेज मांगे जाने पर माल वाहन चालक द्वारा जारी बिल, बिल्टी और वेट-47 संख्या 4030634 दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। कर निर्धारण अधिकारी ने दस्तावेजों की जांच के दौरान पाया कि वेट 47 कालातीत है। जांच अधिकारी द्वारा इसे अधिनियम की धारा 76(2) नियम 51 (1) का उल्लघन मानते हुए करापवचन का मामला दर्ज कर पत्रावली सहायक वाणिज्यिक अधिकारी घट प्रथम बीकानेर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) प्रेषित की गयी। कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष नोटिस के जवाब प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 03.11.2014 को जारी किया गया नया वेट 47 प्रपत्र पेश किया गया। जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अमान्य मानकर करारोपण आरोपित किया गया। इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53(i) का उल्लघन मानते हुए माल की कीमत 326185/- रुपये पर 14 प्रतिशत वेट रुपये

लगातार.....2.


  
19/12/17



- 45665/- व अधिनियम की धारा 76(6) के तहत रुपये 97855/- की शास्ति कुल रुपये 143520/- रुपये आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश दिनांक 03.11.2014 के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कालातीत वेट-47 को तकनीकी भूल मानते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 15.10.2015 से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।
3. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।
  4. बहस के दौरान राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश का खण्डन करते हुए कथन किया गया कि परिवहनित माल अधिसूचित वस्तु था तथा इसके साथ वेट-47 होना आवश्यक था। वक्त चैकिंग माल प्रभारी द्वारा जो वेट-47 पेश किया गया। वह दिनांक 09.01.2012 को जारी किया हुआ था तथा यह प्रपत्र आगामी 2 वर्षों के लिये ही मान्य था। चूंकि उक्त प्रपत्र वेट-47 कालातीत हो गया था। अतः इसे विधि मान्य नहीं माना जा सकता। जैसाकि माननीय कर बोर्ड ने राजेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी बनाम सहायक वाणिज्यिक कर निर्धारण अधिकारी के निर्णय में प्रतिपादित किया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा इसे तकनीकी भूल मानकर आरोपित कर व शास्ति को अपास्त कर विधिक भूल की गई है। अपने इस कथन के साथ विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर आरोपित शास्ति को बहाल करने का निवेदन किया गया।
  5. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बहस के दौरान अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच परिवहनित माल के संबंध में समस्त दस्तावेज मौजूद थे तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन्हें मिथ्या अवधारित नहीं किया गया। परिवहनित माल के साथ केवल अवधिपार वेट-47 पाये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण किया गया। जो कि एक तकनीकी भूल थी। प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आगे कथन किया गया कि नोटिस के जवाब के साथ नया वेट 47 प्रस्तुत कर दिया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा कालातीत वेट 47 को तकनीकी भूल मानकर शास्ति आदेश दिनांक 03.11.2014 द्वारा आरोपित मांग को अपास्त करने में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा Tax Update 40 Pg 9, VAT reporter pg 154, STC 2000 Pg212, TAX Update 35 Pg 317 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश कर राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
  6. उभयपक्षीय बहस सुनी गई तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। रिकॉर्ड से यह

लगातार.....3.


*[Handwritten Signature]*  
12/11/17



स्पष्ट है कि दिनांक 31.10.2014 वाहन संख्या RJ10 GA 0482 को चैक किये जाने पर माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल के संबंध में घोषण प्रपत्र वेट-47 प्रस्तुत किया जिसकी वैधता की अवधि 2 वर्ष 08.01.2014 तक की थी। इस कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त जांच दिनांक 31.10.2014 को वेट-47 कालातीत हो चुका था। रिकॉर्ड के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि प्रस्तुत वेट-47 सम्पूर्ण भरा हुआ था तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी इसे बोगस या मिथ्या साबित नहीं किया गया। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम 2006 के नियम 21(5) के प्रावधानों के तहत उक्त घोषण प्रपत्र वेट-47 की समयावधि समाप्त होने के पश्चात् जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा एक वर्ष की समयावधि के लिये इसे पुनः विधिमान्य किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, जोधपुर बनाम महावीर चन्द्र जैन एण्ड कम्पनी एसटीसी 2000 पेज 212 निर्णय दिनांक 02.03.2000 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान बिक्री अधिनियम 1994 व राजस्थान बिक्री कर नियम 1995 के अधीन जारी फॉर्म एसटी18ए की वैधता जारी करने की दिनांक से 2 वर्ष तक होती है किन्तु उक्त समयावधि समाप्त होने के पश्चात् इसे एक वर्ष की अवधि के लिये पुनः विधिमान्य किया जा सकता है तब शास्ति का आरोपण उचित नहीं है।" राजस्थान कर बोर्ड द्वारा भी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-द्वितीय, जोधपुर बनाम मैसर्स जे.के. इण्डस्ट्रीज, कांकरोली, राजसमंद (2002) 1 आरटीआर 26 में अवधि पार घोषणा प्ररूप वेट-47 की प्रस्तुत को एक तकनीकी अनियमितता माना है। अतः इस आधार पर शास्ति का आरोपण अनुचित एवं अविधिक है। न्यायिक दृष्टांत ACTO, AE, WARD II, BANSWARA VS. M/S J.M.C. PROJECTS(e) Ltd. Udaipur Tax Update 40 Pg 9, विजयलक्ष्मी सेल्स कॉर्पोरेशन, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा एवं अन्य VAT reporter pg 154 तथा राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 2316/2011/उदयपुर मैसर्स जे.पी. फूड्स, उदयपुर बनाम सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन, उदयपुर TAX Update 35 Pg. 317 में भी विवाद बिन्दु वर्तमान प्रकरण के समान निहित था। उक्त न्यायिक दृष्टांतों में भी शास्ति का आरोपण अनुचित माना गया। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि कर निर्धारण अधिकारी व जांच अधिकारी द्वारा व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत बिल व बिल्टी को सही माना है तथा व्यवहारी द्वारा माल पर भी 2 प्रतिशत से CST अदा किया गया है एवं विक्रेता को सी फॉर्म भी जारी किया गया है।<sup>अतः</sup> उक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा अवधिपार वेट-47 के आधार पर धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त करने में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः अपीलीय अधिकारी के आक्षेपित आदेश दिनांक 15.10.2015 में हस्तक्षेप


*Am. Kumar*  
14/12/17

लगातार.....4.



करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं होने से राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 15.10.2015 की पुष्टि की जाती है।
8. निर्णय सुनाया गया।

  
19/12/17  
(राजीव चौधरी)  
सदस्य

